(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

प्रभूलाल बनाम सरपंच वगेरह

किस्म मुकदमा / बाज.प्रा.पत्र / एलआर / नं. / 07 / 2020 जिला टोंक

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अ.अभि. श्री गिरीश शर्मा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2020	पत्रावली पेश हुई । यह बाजदायरी प्रार्थना–पत्र मूल अपील संख्या 24 / 2018 प्रभुलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लुहार व अन्य में निर्णय दिनांक 27–11–19 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश के विरूद्व अपीलार्थी अभिभाषक गिरीश शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अभिभाषक को एक तरफा सुना गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । बहस प्रार्थना पत्र पर मनन उपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । प्रार्थना पत्र सम्बंधित मूल अपील 24 / 2018 जिला टोंक पुनः नम्बर पर ली जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.02.11 11:16:42
IST
Reason: SelfAttested